1. मरीज को चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम मॉडल चिकित्सालय–जयपुर, चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सालय– भिवाडी, ,चिकित्सा अधीक्षक– कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, जोधपुर/कोटा/भीलवाडा एवं पाली एवं DMHS के पत्र संख्याः प 211/जी–3/स.अ./ईएसआई/10/647–716 दिनांक 2.3.2010 (फोटो प्रति संलग्न) व प 211/जी–3/स.अ./ईएसआई/10/1572–76 दिनांक 15.4.2010 (फोटो प्रति संलग्न) द्वारा अधिकृत कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों, राज. क्षेत्र द्वारा रेफर (Refer) किया जाएगा।
2. विशेषज्ञ द्वारा बीमारी एवं संबंधित सुपर स्पेशियलिटी ट्रीटमेंट/डाइग्नोस्टिक का सम्पूर्ण विवरण दिया जाना अपेक्षित है जिसके आधार पर मरीजों को टाइ अप किये गये अस्पतालों एवं डाइग्नोस्टिक सेन्टर को रेफर (Refer) किया जाएगा।
3. चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम/योजना व अधिकृत कराबी औषधालयों के बीमा चिकित्सा अधिकारी (प्रभारी) द्वारा अति विशिष्ट उपचार हेतु मरीज को टाइ अप किये गये अस्पतालों एवं डाइग्नोस्टिक सेन्टर को **तभी रेफर किया जा सकेगा**, जब वे **अति विशिष्ट उपचार हेतु पात्रता की शर्त पूरा करते हों।**

4- उक्त वर्णित टाइ अप अस्पताल (NARAYANA HRUDAYALAYA HOSPITAL, Jaipur) द्वारा **मरीज से किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा**। यह व्यवस्था **राशि रहित (Cash less)** होगी।

5. उक्त वर्णित अस्पताल से टाइ अप उपर्युक्त वर्णित सूची के कॉलम सं. 5 में वर्णित अति विशिष्ट उपचारों **Super Speciality Treatment** के लिए एक वर्ष के लिए किये गये एग्रिमेन्ट दिनांक 31.03.2011 में वर्णित शर्तो के अनुसार किया गया है।

6. **मरीज के इलाज का बिल भुगतान प्रकिया** – बिलों का भुगतान CGHS दरों या संबंधित टाइ अप द्वारा जारी दरों, दोनों में से जो भी कम हो पर देय होगी। यदि कर्मचारी राज्य बीमा निगम मॉडल चिकित्सालय, जयपुर एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सालय– भिवाडी, द्वारा मरीज को टाई अप अस्पताल में रेफर किया गया हो तो बिल आवश्यक सभी मूल कागजातों सहित इन्हीं **कराबी निगम चिकित्सालयों** को ही भुगतान हेतु दो प्रतियों में भेजे। शेष सभी चिकित्सा अधीक्षक, ईएसआई अस्पताल, कोटा, भीलवाडा, पाली, जोधपुर तथा DMHS द्वारा अधिकृत कराबी औषधालयों (सूची संलग्न) से टाई अप अस्पतालों में भेजे गये मरीज का बिल आवश्यक सभी मूल कागजातों सहित दो प्रतियों में सीधे ही **राज्य चिकित्सा आयुक्त कार्यालय, जयपुर** के उपर्युक्त वर्णित पते पर भेजा जाना है।

7. कर्मचारी राज्य बीमा निगम कर्मचारी व उनके आश्रितों को कराबी निगम मॉडल चिकित्सालय, जयपुर, कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सालय– भिवाडी अथवा राज्य चिकित्सा आयुक्त, जयपुर के द्वारा रेफर किया जाएगा तथा आपातकालीन स्थिति में **ESIC Staff** द्वारा टाई अप अस्पताल में मेडिकल कार्ड/आईडेन्टी प्रुफ प्रस्तुत किये जाने पर ईलाज लिया जा सकेगा, जिसकी सूचना तुरन्त कार्ड जारी करने वाले प्राधिकारी व राज्य चिकित्सा आयुक्त को दी जाएगी।